



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विलिंगडन आईलैंड, कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422

E-mail: cochincustoms@nic.in

Fax: 0484-2668468

CUS/Tech/174/2022-CCU Tech-O/o COMMR-CUS-COCHIN

दिनांक Date:- 23.12.2022

कार्यालय आदेश सं OFFICE ORDER NO.02/2022

विषय: इस फॉर्मेशन के तहत जारी किए गए एससीएन की निगरानी को कारगर बनाने - के संबंध में।

Sub: Streamlining the monitoring of SCNs issued under this formation-reg.

इस सीमा शुल्क कार्यालय से जारी कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के एक केंद्रीय डेटाबेस को बनाए रखने के लिए, निम्नलिखित प्रणाली को इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

In order to maintain a central database of Show Cause Notices (SCNs) issued from this Custom House, the following system is proposed to be implemented with effect from date of issuance of this Order.

एस सी एन जारी करने वाले सभी अनुभागों (इसके बाद 'एस आई एस' के रूप में संदर्भित) को 'एस सी एन रजिस्टर' नाम से एक रजिस्टर रखने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें उस अनुभाग से जारी किए गए सभी एस सी एन का विवरण निर्धारित प्रारूप में दर्ज किया जाना होगा (इनमें वे एस सी एन भी शामिल हैं जो वर्तमान में निर्णय के लिए लंबित हैं)।

All SCN Issuing Sections (hereinafter referred to as 'SIS') are directed to maintain a register named as 'SCN Register', wherein details of all SCNs issued from that Section should be recorded in the prescribed format (Including SCNs pending for adjudication as on date).

आयुक्त के अधिनिर्णयन इकाई(इसके बाद 'सी ए यू' के रूप में संदर्भित) 'सेंट्रलाइज्ड एस सी एन रजिस्टर' नाम से एक केंद्रीकृत रजिस्टर रखना प्रारंभ करेगी, जिसमें विभिन्न एस आई एस से जारी सभी एस सी एन का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

Commissioner's Adjudication Unit (hereinafter referred to as 'CAU') shall start a centralized register named as 'Centralised SCN Register', wherein record of all SCNs issued from the various SIS will be maintained.

एस आई एस के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एस आई एस द्वारा जारी एस सी एन में मौजूदा फाइल संख्या नामकरण के अलावा सी ए यू से प्राप्त एस सी एन नंबर हो।

The SIS in-charge shall ensure that the SCNs issued by the SIS bear the SCN Number obtained from CAU in addition to the current file number nomenclature.

अधिनिर्णय आदेश जारी होने के परिणामस्वरूप, संबंधित एस आई एस अपने संबंधित एस सी एन रजिस्टर में विवरण को अद्यतन करेगा और उसमें उक्त प्रविष्टि को बंद करने को सुनिश्चित करने के लिए इसे सी ए यू को भेजेगा।

Consequent to the issuance of Adjudication order, the concerned SIS shall update the details in their respective SCN Register and pass on the same to CAU to ensure closure of the said entry therein.

अब से सी ए यू, इस सीमा शुल्क गृह (अर्थात एयरपोर्ट और एयर कार्गो सहित) के तहत जारी किए गए सभी एस सी एन और अधिनिर्णय आदेशों का रिकॉर्ड रखेगा। हालांकि, संसदीय प्रश्नावली, वी आई पी संदर्भ, बोर्ड संदर्भ, आर टी आई, आदि से संबंधित सभी उत्तर और जानकारी संबंधित एस आई एस द्वारा तकनीकी अनुभाग को मांग पर प्रदान की जाती रहेंगी।

The CAU will henceforth keep the record of all SCNs and Adjudication Orders issued under this Custom House (i.e. including the Airport and Air Cargo). However, all the replies & information pertaining to PQs, VIP references, Board references, RTI, etc, will continue to be provided by the concerned SIS to the technical Section, on demand.

एस सी एन रजिस्टर और केंद्रीकृत एस सी एन रजिस्टर का प्रारूप इस आदेश के साथ अनुबंध I में संलग्न है।

The format of SCN Register & Centralised SCN Register is enclosed with this order at Annexure I.

यह आदेश आयुक्त महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है। उपरोक्त आदेश को लागू करने में यदि कोई कठिनाई हो तो उसे अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया जा सकता है।

This Order is issued with the approval of Commissioner. Difficulties, if any, while implementing the above order may be brought to the notice of the undersigned.



(राजेश्वरी आर. नायर RAJESWARI R. NAIR)

अपर आयुक्त सीमा शुल्क **ADDITIONAL COMMISSIONER OF CUSTOMS**

प्रति To,

एस सी एन जारी करने वाले सभी अनुभाग/ अनुपालन हेतु आयुक्त की अधिनिर्णयन इकाई को
All SCN issuing Sections/Commissioner's Adjudication Unit for compliance.